Circular Railway in Calcutta

3022. SHRI LADLI MOHAN NIGAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the portion of the Calcutta Circular Railway likely to be completed by the end of the financial year 1983-84?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): Already a portion of the Calcutta Circular Railway from Ultadanga via Kankurgachi Chord between Dum Dum in the North and Ballygunge in the South has been opened during this financial year and is functioning.

Further, a proposal to upgrade a section of the Calcutta Port Trust line between Majerhat to Chitpur, to enable suburban trains to run is under consideration of the Government.

Train load rates

3023. SHRI LADLI MOHAN NIGAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the date on which the train load rates were introduced;

(b) whether it is a fact that train load rates were denied even though the users placed indents|programmed the movement of rakes as per Railways instructions;

(c) whether it is a fact that by subsequent modifications the applicability of train load rates has been further restricted; and

(d) whether Government propose to remove such anomalies?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): (a) The train load rates were initially introduced for Grains and Pulses with effect from 1st January, 1982 and subsequently extended to certain other commodities.

(b) and (c) Though certain clarifications in regard to applicability of train load rates have been issued, no modification restricting the applicability of trainload classification has been made. The conditions for eligibility of train load rates have been further liberalised to induce the trade to offer more and more traffic in train loads.

(d) Does not arise.

Manufacture of spurious medicines

3024. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some factories are manufacturing spurious medicines in the country; and

(b) if so, what are the names of those factories and what action Government propose to take against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (MISS KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b) Whenever cases regarding manufacture and sale of spurious drugs come to the notice of the Government, necessary action under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act and Rules thereunder is taken by the State Drugs Control Authorities, who exercise control over the manufacture and sale of drugs under the said Act and Rules. On the basis of information received from all the States|Union Territories, 61 cases of manufacture and sale of spurious drugs have been detected during he past three years. Of these case, seven cases have been decided by the courts and 37 cases are pending in the courts and 17 cases are under investigation.

लेवी चीनी का भाव तय किया जाना

3025. **श्री मिर्जा इर्शाद बेग अयूब बेग** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के गन्ना उत्पादकों द्वारा सौराष्ट्र एवं दक्षिण गुजरात क्षेत्रों के लिए अलग-अलग भाव तय करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव): (क) और (ख) गुजरात के गन्ना उत्पादकों ने सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात क्षेत्रों के लिए अलग दरें निर्धारित करने की कोई विशिष्ट मांग नहीं की है । तथापि, गुजरात सरकार लेवी मूल्यों का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए वर्तमान गुजरात जोन का सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के दो उप-जोनों को और उप-विभाजित करने के लिए लगातार मांग करती रही है । गुजरात के वर्तमान जोन का और उप-जोन बनाने से संबंधित मामला एक विचारार्थ विषय के रूप में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को भेजा गया है । यह ब्यूरो एक विशेषज्ञ निकाय है जिसे चीनी उद्योग के लागत ढांचे की ताजी जांच करने का कार्य सौंपा गया है । इस संबंध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इस मामले पर और आगे विचार किया जाएगा ।

राज्यों को विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई

3026. **श्री मिर्जा इर्शाद बेग अयूब बेग** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट, खाद्य तेलों, गेहूं, चावल और जाड़े धान की राज्यवार प्रति मास की मांग कितनी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितना-कितना कोटा आवंटित किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार को बाढ़ तथा अकालग्रस्त राज्यों से कोई विशेष मांग प्राप्त हुई है, यदि हां तो उसका अनुपात क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव): (क) चालू वर्ष 1983-84 (अप्रैल-जुलाई, 1983) के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को गेंहूं, चावल और आयातित खाद्य तेलों की मांग और उन्हें किया गया इनका आवंटन अनुबंध में दिया गया है। [**देखिए** परिशिष्ट xxvii, अनुपत्र संख्या 86] सीमेंट के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे । जाड़े धान सार्वजनिक वितरण की वस्तु नहीं है ।

(ख) भारत सरकार को गुजरात, त्रिपुरा और उड़ीसा के राज्यों से निम्नांकित वस्तुओं के संबंध में बाढ़/सूखा राहत के लिए विशेष मांग प्राप्त हुई है :--

	चावल	पामोलीन	लेवी चीनी	सीमेंट	मिट्टी का तेल
गुजरात	2000 मी० टन	4000 मी० टन	4000 मी० टन	1.00 लाख मी० टन	5000 कि०ली०
त्रिपुरा	1500 मी० टन	--	--	--	--
उड़ीसा	--	--	--	1.5लाख मी० टन	--

इन मांगों पर संबंधित केन्द्रीय विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।